6

कार्यालय प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग

छत्तीसगढ़ रायपुर

5405
16/07/03

क्रमांक – /त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.या./ 2003 रायपुर दिनांक 14-7-2003

प्रति,

1. समस्त अधीक्षण यंत्री

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग

रायपुर मंडल रायपुर

2. समस्त कार्यपालन यंत्री

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग

--------खंड-------

विषय:- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली नगरीय जलप्रदाय योजनाओं में गुणात्मक सुधार लाए जाने बावत् ।

प्रदेश की समस्त नगरीय जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा कराये जाने बावत् शासन ने निर्णय लिया है। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निम्न निर्देश है ।

1. योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो इस हेतु आवश्यक है कि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है या भविष्य में क्रियान्वियन की जाने वाली नगरीय जलप्रदाय योजनाओं की गुणवता में सुधार किया जावे।

2. इन योजनाओं में उपयोग किए जाने वाले पाईप की गुणवत्ता में भी सुधार लाया जावे, जिससे जलप्रदाय योजनाये पूर्ण होने के 4–5 वर्षो में ही पाईप फट जाने आदि के कारण योजनाओं के अनुपयोगी हो जाने से बचा जा सके।

3. विभाग द्वारा पाईप की खरीदी आवश्यकतानुसार ही की जाए, आवश्यकता से अधिक पाईप क्रय न किए जाए। ए.सी. या अन्य सीमेन्ट पाईप के स्थान पर जी.आई / सी.आई/ डी.आई पाईप का उपयोग किये जाने के संबंध में परीक्षण कर पाईप का प्रकार निर्धारित किया जावे ।

4. इसी प्रकार नगरीय जलप्रदाय योजनाओ के निर्माण के पश्चात कुछ वर्ष तक उनका संधारण भी विभाग विभाग करे ताकि योजनाओं के पूर्ण होने के तत्काल पश्चात जो तकनीकी या अन्य खराबी सामने आती है। उनका सुधार विभाग द्वारा ठीक ,प्रकार से किया जा सके। नगरीय निकायो द्वारा इन योजनाओं को पूर्ण होने के कम से कम 3 वर्ष बाद ही हस्तांतरित किया जाए। ऐसे संधारण हेतु योजना प्रस्ताव में आवश्यक प्रावधान अवश्य करें ।

Three years O & M expense should be included as well in cases

S.B.